तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ समक्ष श्रीमती ...	अहलमद हुक्म में जा
15/6/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत आपके सामने कोरम इत्तवारी में पेश हुई। पक्षकारगण की चर्चा एवं अवलोकन की गयी। यह प्रकरण इस न्यायालय में इस अनुरोध हेतु प्रस्तुत किया गया है कि नामान्तरण सं 1085 दिनांक 26/3/1995 जो कि बिगस्त का नामान्तरण है में इन्तकाल के वारिसान में गार्जियन का नाम श्रीमती के स्थान पर गलत्या पुत्री श्यामलाल अंकित हो गया है कि वास्तविक नाम रिकार्ड में श्रीमती है। इसे सही कर श्रीमती किया जावे। मजमे आम में चर्चा की गयी। उपस्थित ग्रामीणों एवं सरपंच ने गार्जियन का वास्तविक नाम श्रीमती होना बताया, राजस्व रिकार्ड में जो नाम गलत्या अंकित हो गया है वह घर का नाम है उसे सही किये जाने बाबत कहा।	
श्रीमती	हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं चर्चा पर गौर किया तो आदेश है कि राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 53 ग्राम इत्तवारी पर आसामी खा.न 1645 खातेदार इत्तवारी पर दर्ज गलत्या पुत्री श्यामलाल के स्थान पर श्रीमती पुत्री श्यामलाल का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रामगढ़ को इस आदेश का पालना करी किया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

राजस्व लोक अदालत अभियान
आपके द्वार-2018